उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-181/2018/3139/92-2-2018-02टी0ए0सी0(जांच)/2017

लखनऊ :: दिनांक:: 14 दिसम्बर, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद-प्रतापगढ. में वर्ष 2016-17 मे चयनित डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम चन्दपुर गोविन्दपुर ब्लाक-शिवगढ़ जामतली में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन के निर्माण कार्यों की टी0ए0सी0 जांच आख्या दिनांक 26.05.2017 के अनुसार परिलक्षित शासकीय क्षति रू0 53,673.00 के लिए श्री के0ए0 सिद्दीकी, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-प्रतापगढ़ द्वारा निर्माण कार्यों के अनुबंध गठन के समय बिना पिछले 05 वर्षों का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र एवं बिना वित्तीय अनुभव के त्रुटिपूर्ण तकनीकी एप्रेजल करते हुए मेसर्स लक्ष्मी कान्स0 को टेक्निकली रिस्पान्सिव घोषित करने हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के पत्र संख्या-1178/92-2-2017-02टी0ए0सी0(जांच)/2017, दिनांक 13.07.2017 के क्रम निर्गत शुद्धि पत्र संख्या-3168/92-2-2017-02टी0ए0सी0(जांच)/2017, दिनांक 28.11.2017 द्वारा श्री के0ए0 सिद्दीकी, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-प्रतापगढ़ के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-10(2) के अंतर्गत स्पष्टीकरण निर्गत करते हुए निर्धारित समयावधि में स्पष्टीकरण उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

2- अपचारी अधिकारी श्री के0ए0 सिद्दीकी, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-प्रतापगढ़ द्वारा अपने पत्र संख्या-1309/ग्रा0अ0वि0/पी0आई0यू0/जांच/2017-18/दिनांक 21-02-2018 द्वारा स्पष्टीकरण शासन मे उपलब्ध कराया गया, जो निम्नवत् है:-

> "अपचारी अधिकारी श्री के0ए0 सिद्दीकी, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-प्रतापगढ़ ने अवगत कराया है कि डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत ग्राम चन्दनपुर एवं गोविन्दपुर विकास खण्ड-शिवगढ़ जामतली जिला प्रतापगढ़ के अनुबन्ध गठन के समय बगैर अनुभव प्रमाण पत्र एवं बिना वित्तीय अनुभव के तकनीकी अप्रेजल के संबंध मे स्पष्ट करना है कि उक्त तकनीकी अप्रेजल हेतु गठित समिति के सदस्य प्रखण्डीय लेखाधिकारी एवं सहायक अभियन्ता के द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र एवं वित्तीय अनुभव के परीक्षणोपरान्त ही अप्रेजल संबंधी कार्यवाही पूर्ण की गयी थी तथा उक्त के आधार पर समिति द्वारा मेसर्स लक्ष्मी कान्सट्रक्सन को रिस्पांसिव घोषित किया गया था तथा टेण्डर संबंधी समस्त अभिलेखों का रखरखाव अनुबन्ध लिपिक द्वारा किया जाता है। टी0ए0सी0 जांच के समय संबंधित अभिलेख कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रखण्ड प्रतापगढ़ को उपलब्ध कराया जाना चाहिए था, संभवत: तत्समय संबंधित लिपिक द्वारा भूलवस यह अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जा सका।"

3- शासन स्तर से निर्गत स्पष्टीकरण, अपचारी अधिकारी का उत्तर व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त श्री के0ए0 सिद्दीकी, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रखण्ड-प्रतापगढ़ को निर्माण कार्यों के अनुबंध गठन के समय बिना पिछले 05 वर्षों का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र एवं बिना वित्तीय अनुभव के त्रुटिपूर्ण तकनीकी एप्रेजल करते हुए मेसर्स लक्ष्मी कान्स0 को टेक्निकली रिस्पान्सिव घोषित करने हेतु उन्हें "परिनिन्दा" का दण्ड देते हुए उनके विरूद्ध शासन के पत्र संख्या- संख्या-1178/92-2-2017-02टी0ए0सी0(जांच)/2017, दिनांक 13.07.2017 के क्रम निर्गत शुद्धि पत्र संख्या-3168/92-2-2017-02टी0ए0सी0(जांच)/2017, दिनांक 28.11.2017 द्वारा निर्गत स्पष्टीकरण को एतद्द्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-181/2018/3139(1)/92-2-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
2- श्री के0ए0 सिद्दीकी, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-प्रतापगढ़ द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।